Additional Attachment -2.2

मुख्यमंत्री ग्रामीण सडक योजनान्तर्गत
संख्याः– 1440 / III(2)/11–05(ग्रा0आ0)/2010

प्रेषक,

महिमा,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 28 मार्च, 2011

विशयः– मुख्यमंत्री ग्रामीण सडक योजना के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों की प्रशासकीय, वित्तीय एवं व्यय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सडक संयोजन योजना के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता ग0क्षे0/कु0क्षे0, लो0नि0वि0, पौड़ी/अल्मोड़ा द्वारा उपलब्ध कराये गये संलग्न विवरणानुसार उल्लिखित 77 कार्यो की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम चरण के अन्तर्गत प्रक्रियात्मक कार्यो यथा विस्तृत आगणन का गठन, वन भूमि हस्तान्तरण, भू–अधिग्रहण, यूटीलिटी शिफ्टिंग, मृदा परीक्षण, भू–वैज्ञानिक की रिपोर्ट, कन्सलटैन्सी आदि मदों, के लिये टी0ए0सी0 वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि ₹ 4950.43 लाख (₹ उन्चास करोड़ पचास लाख तिरालीस हजार मात्र) पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए संलग्न विवरणानुसार चालू वित्तीय वर्ष में प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात कुल 77 कार्यो हेतु ₹. 7.70 लाख (₹ सात लाख सत्तर हजार मात्र) के व्यय की, महामहिम श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(ii)– उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यो को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त उक्त सन्दर्भित शासनादेश सं0:–1764/III(2)/10–17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही पैदल सेतु का निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(iii)– आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iv)– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि मे बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(v)– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(vi)– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vii)– स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स 2008 एवं उक्त के विषय मे समय समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

महिमा

...2/–

Photo copy attached
सहायक अभियन्ता (III)
निर्माण खण्ड, लो0नि0 विभाग
देहरादून

Photo copy attached-
सहायक अभियन्ता (II)
निर्माण खण्ड, लो0नि0 विभाग
देहरादून

(viii)– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:– 2047/XIV–219(2006) दिनांक 30–05–2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(ix)– स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(x)– इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010–11 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0– 22–लेखाशीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय –04 जिला तथा अन्य सड़कें –आयोजनागत –800–अन्य व्यय–03 राज्य सेक्टर–03– मुख्यमंत्री ग्रामीण सडक संयोजन योजना–24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

(xi)– यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या– 198/XXVII/(2)/2010 दि0: 28 मार्च, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
(हस्ताक्षर)
(महिमा)
अनु सचिव

संख्या:– (1)/III(2)/11–05(प्रा0आ0)/2010 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
3. समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
4. मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल/कुमायूँ क्षेत्र, लो.नि.वि., पौड़ी/अल्मोड़ा।
5. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ/राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
8. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड।
9. लोक निर्माण अनुभाग–1/3 उत्तराखण्ड शासन ।
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से,
(महिमा)
अनु सचिव

कार्यालय मुख्य अभियन्ता स्तर-I लोक निर्माण विभाग देहरादून

पृ0सं0– 409/20 मा0ता0 –(क) /10 दि0– 30/3/11

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01– मुख्य अभि0 ग0/कु0क्षे0, लो0 नि0वि0, पौड़ी/अल्मोड़ा/नैनीताल
02– अधीक्षण अभि0 2 वॉ वृत्त, लो0 नि0 वि0, ...
03– बजट/प्रा0 वर्ग कार्यालय मुख्य अभि0 स्तर-1

मुख्य अभियन्ता स्तर-I लोक निर्माण विभाग
29/3

Photo copy attached / Photo copy all over

सहायक अभियन्ता (III) निर्माण खण्ड, लो0नि0 विभाग देवीधार,

सहायक अभियन्ता (III) निर्माण खण्ड, लो0नि0 विभाग देवीधार,

Additional Attachment -2.2

1769
12AC
08/04/2011

70	मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विकासखण्ड गरूड़ में बैजनाथ– बागेश्वर –बेरीनाग मो0मा0 के किमी0 12 से कमोल तक मो0मा0 का प्रारम्भिक आगणन।	4.00	50.40	0.10
71	मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विकासखण्ड कपकोट में पैठाड, दारसिंह, खातीगॉव, नाथीसेरा तक मो0 मा0+ 1 सेतु के नवनिर्माण का प्रारम्भिक आगणन।	7.00+1 सेतु (50 मी0)	88.20	0.10
72	मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विकासखण्ड बेतालघाट में थापली से रहेली तक मो0मा0 का निर्माण।	3.50	44.10	0.10
73	मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विकासखण्ड धारी में नदगल गांव को जोड़ने हेतु मो0मा0 के निर्माण कार्य का प्रारम्भिक आगणन।	5.00	63.00	0.10
74	मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विकासखण्ड भीमताल में खैरोला पन्त/खड़की ग्रामों को जोड़ने हेतु मोटर मार्ग का नवनिर्माण	3.00	37.80	0.10
75	मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विकासखण्ड ओखलकांडा में सलकवार/ सलकपार ग्रामों को जोड़ने हेतु मोटर मार्ग का नवनिर्माण	4.00	50.40	0.10
76	मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विकासखण्ड रामगढ़ में कूल (चौफुला) से ग्राम डोल तक मो0मा0 का निर्माण।	4.00	50.40	0.10
77	मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद उधमसिंहनगर के विकासखण्ड सितारगंज में मझोला–मोरनौला मोटर मार्ग के किमी 06 से झुकहा तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण	1.50	0.47	0.10
	कुल योग–		4950.43	7.70

(कुल ₹ सात लाख सत्तर हजार मात्र)

(महिमा)
अनु सचिव

अधीक्षण अभियन्ता
द्वितीय वृत्त, लो० नि० वि०

पृ०सं० 1024/5 बजट- ... दिनांक 7/4/2011

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, निर्माण/अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि० नैनीताल/भवाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

RNo 1769/12AC Dt 11/4/11

प्रतिलिपि कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा०)/स्वतंत्र सहायक अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अधीक्षण अभियन्ता
द्वितीय वृत्त, लो० नि० वि०
नैनीताल.
7/4/2011

अधिशासी अभियन्ता
8/4/11

Photo copy attested
सहायक अभियन्ता (III)
निर्माण खण्ड, लो०नि० विभाग
नैनीताल

Photo copy attested
सहायक अभियन्ता (III)
निर्माण खण्ड, लो०नि० विभाग
नैनीताल